

#1008

ग्रामी सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राजस्थान)
(भीठरसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर)
धारा अन्तर्गत -136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 777 / 2025 दायर दिनांक 4 / 10 / 2025 निर्णय दिनांक 11/10/25

क.स. नाम ग्राम खोला नम्बर
1 शेजापुरा 11

रिपोर्ट

<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. चा. अधि.1956 की धारा 136 के अद्ययीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाला संख्या 11 में वर्तमान प्रविष्टी बडौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जायें का आदेश दिया जाता है।</p>
<p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1. गोहरू दत्तकपुर शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाला) बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>1. गोहरू दत्तकपुर शंकरलाल पूर्ण जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण (पूर्ण खाला) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>
<p>हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर</p>	<p>हस्ताक्षर गिरदावर</p>
<p>हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

Handwritten signatures and dates: 4-10-25, 4-10-25, 4-10-25

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला, चितौड़गढ